4. यान अन्तरण का प्रभाव- यान का अन्तरण हुआ परन्तु पॉलिसी पूर्व स्वामी के नाम रही ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी दुर्घटना होने की दशा में यान के क्रेता को प्रतिकर भुगतान करने के लिये दायी नहीं है ।[3]

बीमा कम्पनी पूर्व में ही अन्तरित किये गये यान के लिये दुर्घटना होने पर जिम्मेदार नहीं माना गया ।[4]

यान अन्तरण के कारण पॉलिसी व्यपगत होना माना गया और बीमा कम्पनी दायित्व से मुक्त होना अभिनिर्धारित की गई ।[5]

अन्तरण के उपरान्त दुर्घटना हुई यद्यपि यह पॉलिसी द्वारा जारी अवधि के अन्तर्गत थी । बीमा कम्पनी दायी मानी गई । 1989 एसी.जे. 577 देहली उच्च न्यायालय, 1985 एसी.जे. 505 गुजरात उच्च न्यायालय, निर्भरित, 1987 एसी.जे. 411 (सु.को.) लागू नहीं माना गया ।[6]

5. दुर्घटना दिनांक को पॉलिसी लेना- प्रभाव- दुर्घटना दिनांक को भी यदि पॉलिसी ली जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार बीमा कम्पनी दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती ।[7]

दुर्घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी ली गई । बीमा कम्पनी दायी होना मानी गई ।[8]

बीमा कम्पनी उस दशा में भी दायी है जबकि दुर्घटना दिनांक को ही पॉलिसी ली गई ।[9]

6. पॉलिसी की अप्रस्तुति - पॉलिसी प्रस्तुति के अभाव में, बीमा कम्पनी सम्पूर्ण प्रतिकर अदायगी हेतु दायित्वाधीन है ।[10]

7. विस्तृत पॉलिसी के अधीन - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में स्पष्ट किया है, जब यान के संबंध में विस्तृत पॉलिसी दी गई हो तो इसका आशय यह नहीं होगा कि बीमा कम्पनी का दायित्व असीमित हो गया है बीमा कम्पनी का वैधानिक दायित्व अधिनियम की धारा 95 (2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तत्समान विधि के तहत निर्धारित वैधानिक दायित्व से अधिक नहीं हो सकता है ।[11]

8. पर व्यक्ति जोखिम के बीमा का उद्देश्य- पर व्यक्ति जोखिम बाबत बीमा के उपबंधों के उद्देश्य को बताते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि मोटर यान के उपयोगकर्ता द्वारा कारित क्षति के संबंध में पर व्यक्ति प्रतिकर प्राप्त कर सके और वे प्रतिकर प्राप्ति के लिये यान के ड्राइवर की वित्तीय दशा पर निर्भर न रहे ।[12]

9. प्रतिकर की राशि- नियोजन की क्षति के संबंध में कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने जो अधिनिर्णय दिया था उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी । बीमा कंपनी प्रतिकर की राशि जो अधिनिर्णय में वर्णित हो उसको आक्षेपित नहीं कर सकती । (**ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम मोहम्मद हनीफ,** 1996 (1) टी.ए.सी. 123 कर्नाटक = 1996 (1) ए.जे.आर. 104, कर्नाटक = 1997 एसी.जे. 461 कर्नाटक) ।

146. पर-व्यक्ति जोखिम बीमा के लिए आवश्यकता- (1) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटर यान का उपयोग यात्री से भिन्न रूप में तभी करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से तभी कराएगा या उसे करने देगा जब, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस यान के उपयोग के संबंध में ऐसी बीमा पालिसी प्रवृत है जो इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, अन्यथा नहीं :

* (परन्तु खतरनाक या परिसंकटमय माल वहन करने या आशयित यान के मामले में, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के अन्तर्गत बीमा पॉलिसी भी होगी) ।

स्पष्टीकरण - केवल वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति को उस समय जब उस यान के उपयोग के संबंध में ऐसी पालिसी प्रवृत नहीं है जैसी इस उपधारा द्वारा अपेक्षित है, उस उपधारा का उल्लंघन करने वाला तभी समझा जाएगा जब वह जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है, अन्यथा नहीं ।

(2) उपधारा (1) ऐसे किसी यान को लागू न होगी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है और जिसका उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित नहीं है ।

---

3. *मीरा बाई बनाम नासिर अली,* 1990 (2) म.प्र.वी.नो. 137 म.प्र. उच्च न्यायालय ।
4. *नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम मुन्नी बाई,* 1982 म.प्र. वी.नो. 238 म.प्र. उच्च न्यायालय ।
5. *रेंगापरूमल राजा बनाम मोहिउद्दीन मुथु बीबी,* 1994 (2) एसी.सी. 661 मद्रास उच्च न्यायालय खण्डपीठ ।
6. *नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम मालिक अर्जुन,* 1990 एसी.जे. 588 कर्नाटक उच्च न्यायालय ।
7. *न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम रामदयाल* 1990 एसी.जे. 545 सु.को. ।
8. 1990 एसी.जे. 545 = 1990 (2) म.प्र. वी.नो. 90, *राधेश्याम बनाम नजीर,* 1991 जे.एल.जे. 460
9. *न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम रामदयाल,* 1990 एसी.जे. 545 (सु.को.)
10. *न्यू इण्डिया एश्योरेन्स बनाम मोहिन्दर कौर* 1989 एसी.जे. 343.
11. *नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर,* 1988 एसी.जे. सु.को.
12. ए.आई.आर. 1964 सु.को. 1736

* 1994 के अधिनियम क्रमांक- 54 के द्वारा अन्तः स्थापित किया गया । दिनांक 14-11-1994 से प्रभावी ।

विधानसभा प्रश्न क्र. (2) 1369 — परिशिष्ट-6-अ

(3) समुचित सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्वाधीन है, अर्थात्.—

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उस दशा में जब उस यान का उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित हो।

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) कोई राज्य परिवहन उपक्रमः

परंतु किसी ऐसी प्राधिकरण के संबंध में कोई ऐसा आदेश तभी किया जाएगा जब उस प्राधिकरण के किसी यान के उपयोग से पर-व्यक्ति के प्रति उस प्राधिकरण या उसके नियोजनाधीन किसी व्यक्ति द्वारा उपगत किसी दायित्व की पूर्ति के लिए उस प्राधिकरण द्वारा कोई निधि इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार स्थापित की गई है और बनाई रखी जाती है; अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''समुचित सरकार'' से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है, और.—

(i) ऐसे किसी निगम या कंपनी के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सकरार के स्वामित्वाधीन है, केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ii) ऐसे किसी निगम या कंपनी के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में वह सरकार अभिप्रेत है जिसका उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण है।

टिप्पणी

1. **तत्समान पूर्व विधि**
2. **पर व्यक्ति बीमा का उद्देश्य**
3. **बीमित स्वयं की मृत्यु**
4. **पर व्यक्ति-निर्वचन**
5. **राज्य परिवहन निगम को समुचित मात्रा का फण्ड का निर्देश**

1. तत्समान पूर्व विधि— वर्तमान मोटर यान अधिनियम की धारा 146 के उपबंध के तत्समान पूर्व विधि मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 94 में उपबंधित थी।

2. पर व्यक्ति बीमा का उद्देश्य— पर व्यक्ति जोखिम बाबत बीमा के उपबंधों के उद्देश्यों को बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि मोटर यान के उपयोगकर्ता द्वारा कारित क्षति के संबंध में पर व्यक्ति प्रतिकर प्राप्त कर सकें और वे प्रतिकर प्राप्ति के लिये यान के ड्राइवर की वित्तीय दशा पर निर्भर न हो।[13]

3. बीमित स्वयं की मृत्यु— पॉलिसी में पर व्यक्ति जोखिम को आच्छादित किया गया था। बीमित व्यक्ति स्वयं की मृत्यु हुई थी। बीमा कंपनी दायी नहीं ठहराई गई।[14]

यान प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। चालक के पास विधिक चालन अनुज्ञप्ति था। यान सम्यक् रुप से बीमा कंपनी से बीमित किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधि यह नहीं कहती है कि यान का स्वामी उसकी स्वयं की कार में यात्रा करने से वर्जित किया गया है। यदि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, यान का स्वामी मृत हो जाता है तो इसके वैधानिक वारिसों को प्रतिकर देने से मात्र इस कारण पर इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक बिना किराये/पारिश्रमिक के यात्रा कर रहा था। उच्च न्यायालय ने आगे यह व्यक्त किया कि मृतक न केवल यान का स्वामी था अपितु इसमें यात्रा भी कर रहा था। यद्यपि उस समय भिन्न हो जाती, जब वह यान को स्वयं चला रहा होता, प्रश्नगत यान को दुर्घटना के समय चालक द्वारा चलाया जा रहा था। अतः बीमा कंपनी पर दायित्व आरोपित होगा। बीमा कंपनी दायी मानी गई।[15]

13. *ए.आई.आर. 1964 सु.को. 1736*
14. *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अपम्मा बाबू, 1990 ए.सी.जे. 909 केरल उच्च न्यायालय, 1989 ए.सी.जे. 21 केरल उच्च न्यायालय*
15. *कुसुम सूद बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1995 ए.सी.जे. 242 पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय*